

संख्या-डीजीटी-ई-13019/02/2017-हिन्दी

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

रोजगार कार्यालय भवन,
पूसा परिसर, नई दिल्ली,
दिनांक: 06 फरवरी, 2024

परिपत्र

विषय:-राजभाषा नियम, 1976 (यथा संशोधित, 1987) के नियम-5 का अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबंधित और अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों आदि के लिए सांविधिक अपेक्षा है कि वे राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अनुसार हिंदी में प्राप्त पत्र अथवा हिंदी में हस्ताक्षरित पत्रों का जवाब हिंदी में ही दिए जाना सुनिश्चित करें। परंतु देखने में आ रहा है कि महानिदेशालय के अनुभागों तथा अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

2. राजभाषा नियम 1976 का अनुपालन न करना गंभीर बात है। अतः महानिदेशालय के सभी प्रभाग प्रमुखों तथा अधीनस्थ कार्यालयों के क्षेत्रीय निदेशक व कार्यालयाध्यक्ष से अनुरोध है कि राजभाषा नियम 1976 (यथा संशोधित, 1987) के नियम 5 के अनुसार हिंदी में प्राप्त पत्र अथवा हिंदी में हस्ताक्षरित पत्रों का जवाब हिंदी में ही दिए जाना सुनिश्चित किया जाए। भविष्य में यदि राजभाषा नियम, 1976 (यथा संशोधित, 1987) के नियम-5 का उल्लंघन पाया गया तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा।



(ईश्वर सिंह)

उप महानिदेशक

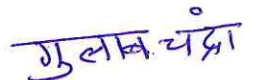
संलग्नक: राजभाषा नियम, 1976 (यथा संशोधित, 1987)

आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. प्रशिक्षण महानिदेशालय के समस्त अधिकारी/अनुभाग/प्रभाग/एकक
2. प्रशिक्षण महानिदेशालय के समस्त अधीनस्थ कार्यालय

प्रति: सूचनार्थ

1. महानिदेशक/अपर सचिव के पीएसओ
2. उप महानिदेशक (दक्षिण) तथा उप महानिदेशक (पूर्व) के प्र. नि. सचिव
3. संयुक्त निदेशक (सीएफआई)
4. सहा. निदेशक, राजभाषा अनुभाग, एमएसडीई



(गुलाब चंद्रा)

सहा.निदेशक, राजभाषा (प्रभारी)